रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 125] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 18, 1970/आषाढ़ 27, 1892

No. 125] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 18, 1970/ASADHA 27, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 18th July 1970

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters—applications for grant of advance licences against export orders for ready-made garments. (Amendment No. 22.)*

No. 107-ITC(PN)/70.—Attention is invited to Para 119(5) of the ITC Hand Book of Rules and Procedure, 1970, published under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 66-ITC(PN)/70, dated 4th May, 1970 regarding submission of applications for grant of advance licences/release of raw materials for the purpose of execution of firm export orders. According to the provisions of the aforesaid Para, eligible Registered Exporters have to submit their applications to the licensing authority within whose jurisdiction the registered office of the Exporter is situated and forward a copy thereof to the Export Promotion Division in the office of the CCI & E, New Delhi.

2. The above mentioned procedure has been reviewed in so far as applications for advance licences against export orders for ready-made garments are concerned. It has now been decided that all applications for such advance licences should be addressed to the Jt. Chief Controller of Imports and Exports, Bombay, irrespective of the jurisdiction of the licensing office within which the registered office of the exporter is situated. Such applications should be accompanied by the usual documents prescribed in Para 119 of the Hand Book of Rules and Procedure, 1970. It has also been decided that instead of forwarding copies of such applications to the E. P. Division of the CCI & E, New Delhi, they may be sent to the Textile Commissioner, Bombay.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आयात व्यापार नियन्त्रण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई 1970

विषय :—पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति बने बनाए पहनावों के निर्यात आदेश के लिए अग्रिम लाइसेंस की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र ।संशोधन संख्या 22

सं० 107-आई० टी० सी० (पी० एन०) /70.—नियम और कार्यविधि, 1970 के हैंड बुक के पारा 119 (5) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 66 आईटीसी (पी एन) 70, दिनांक 5-4-1970 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था और वह फर्म निर्यात आदेश के निष्पादन कार्य के लिए कच्चे माल के अग्रिम लाइसेंस/ आबटन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र जमा करने से संबंधित था । उपर्युक्त पारा की व्यवस्थाओं के अनुसार पात्रता प्राप्त पंजीकृत निर्यातकों को लाइसेंस देने वाले उन प्राधिकृत अधिकारियों के पास अपना अपना आवेदन पत्र जमा करना है, जिनके क्षेत्राधिकार में निर्यात का पंजीकरण कार्यालय अवस्थित है और उसकी एक प्रति मुख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात, नई दिल्ली के निर्यात प्रगति प्रभाग, कार्यालय में भेजनी है ।

2. जहां तक बने बनाए पहनावों का संबंध है, निर्यात आदेश के लिए अग्रिम लाइसें सहेतु आवेदन पत्र देने की उपर्युक्त कार्यविधि की अब पुनरीक्षा कर दी गई है । अब यह निश्चय किया गया है कि इस प्रकार के अग्रिम लाइसेंस संबंधी सभी आवेदन-पत्र लाइसेंस कार्यालय के क्षेत्राधिकार का ध्यान किए बिना, जिसमें कि आयातक का पंजीकरण कार्यालय अवस्थित है, संयक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई के नाम सम्बोधित किए जाने चाहिए । इस प्रकार के आवेदन-पत्र नियम और कार्यविधि 1970 के हैंड बुक के पारा 119 में निर्धारित सामान्य प्रलेखों के साथ भेजे जाने चाहिए । यह भी निश्चय किया गया है कि आवेदन-पत्रों की प्रतियां ई० पी० प्रभाग, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली को अग्रेषित करने के बजाय, वे वस्त्र आयुक्त बम्बई को भेजी जा सकती हैं ।

आर० जे० रबैलो,
मख्य नियंत्रक, आयात–निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970